न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील / डिक्री / टीए / 3266 / 2004 / धौलपुर

1—गंगाराम |
2—धनसिंह | पिसरान तोताराम जाति कछवाया निवासी रुँध का पुरा
3—पदमसिंह | मजरा दोवाटी उप तहसील मनियॉ तहसील धौलपुर
4—रामभरोसी | ——अपीलांटस

बनाम

भूप सिंह पुत्र देवीराम जाति कछवाया निवासी रुँध का पुरा मजरा दोवाटी उप तहसील मनियॉ तहसील धौलपुर

——रेस्पोडेंट

खण्ड पीठ
श्री सूरज भान जैमन सदस्य
श्री राजेन्द्र कुमार, सदस्य

उपस्थितः—
(1) श्री खडगसिंह अधिवक्ता अपीलांट
(2) श्री राजेश गौतम अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

निर्णय दिनांकः 13—6—2018

1— यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या 87 / 2003 शीर्षक भूपसिंह बनाम गंगाराम आदि में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—4—2004 के विरुद्व प्रस्तुत की गयी है।

2— अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण / रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नंबर 47 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा वाके ग्राम दुवाटी तहसील धौलपुर के वादीगण बहिस्सा बरावर के खातेदार काश्तकार हैं । उक्त खसरा नम्बर के पूर्व दिशा में उत्तर से दक्षिण आम रास्ता है।प्रतिवादी का इस आराजी से कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी / अपीलांट विवादित आराजी पर मकान बनाना चाहता है तथा वादीगण को बेदखली की धमकी दी है। प्रतिवादी ने धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की जानबूझ कर अवहेलना कर खसरा नमबर 47 की पूर्व मैड को तोडकर भूमि में 6फीट अन्दर घुस कर करीब डेढफुट चौडी 8 फुट ऊॅची 20 फुट लम्बी पुख्ता दीवाल बना कर झोंपडी डालदी है जो गैरकानूनी हैं। अतः उसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर विवादित आराजी का कब्जा दिलाने की प्रार्थना की। प्रतिवादी ने दावे का जबावदावा पेश कर दावे में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 47 के पूर्व दिशा

की ओर लगा हुआ खसरा नम्बर 48 है जो प्रतिवादी का है। इसी से लगा हुआ खसरा नम्बर 49 है। वादीगण खसरा नंबर 47 की आड में खसरा नंबर 48 पर जबरन कब्जा करना चाहते है। अन्त में दावा खारिज करने का निवेदन किया।

3— अधीनस्थ न्यायालय ने अभिवचनों के आधार पर तनकियात कायम कर उभयपक्षकारान की साक्ष्य लेखबद्ध की एवं निर्णय व डिक्री दिनांक 24—3—2003 के द्वारा वाद डिक्री कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रतिवादी ने अपील संख्या 87/03 शीर्षक भूपसिंह बनाम गंगाराम आदि न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर के समक्ष पेश की। विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने दोनो पक्षों की सुनवाई के पश्चात आक्षेपित निर्णय व डिक्री दिनांक 20—4—04 के द्वारा यह निर्णय पारित किया कि ''अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी धौलपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24—3—2003 यथावत यथावत रखे जाते है साथ ही अपीलांट को यह विकल्प दिया जाता है कि वह विवादित आराजी के 6 X 20फुट की एवज में 200/—रुपये प्रति वर्ग गज की दर से राशि रेस्पोडेंट को अदा करने को तैयार हो तो बाद अदायगी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त माना जावे।" उक्त निर्णय व डिक्री से खुद को व्यथित महसूस करते हुए वादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

4— बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.4.04 नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका आगे तर्क है कि उपखण्ड अधिकारी ने वाद को ठोस आधारों पर डिक्री किया था लेकिन विद्वान राजस्व अपील प्राधिकारी ने भूपसिंह द्वारा पेश गयी अपील को खारिज करने के उपरांत भी प्रतिवादी को विकल्प देकर वादीगण के दावे को तरमीम करने में भारी भूल की है। जब विद्वान अपील अधिकारी ने अपील को खारिज कर दिया तो उन्हे एक नया आदेश पारित नही करना चाहिए था। ऐसी स्थिति में यह अपील स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के निर्णय व डिक्री को यथावत रखने का एव ंविद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण को दिये गये विकल्प को अपास्त करने का निवेदन किया है।

6— इसके विपरीत विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपीलांट की ओर से की गयी बहस का खण्डन करते हुए राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा सम्पूर्ण निर्णय व डिग्री दिनांक 20—4—04 को उचित व कानून सम्मत बताते हुए हस्तगत द्वितीय अपील को खारिज करने का निवेदन किया है।

7— हमने उभयपक्षकारान की ओर से की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया।

8— पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान विचारणीय न्यायालय एवं विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा इस बाबत समकक्ष निष्कर्ष निकाले गये है कि वादीगण/अपीलांटस के खसरा नम्बर 47 की खातेदारी एवं कब्जा काश्त की भूमि

में प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस ने 6 फिट अन्दर घुस कर करीब ढेड फुट चोडी, 8 फुट ऊॅची एवं 20 फुट लम्बी पुख्ता दीवाल बना कर झोपडी डाल दी है। दोनो अधीनस्थ न्यायालयों के उक्त निष्कर्षों को प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस ने किसी प्रकार की चुनौती इस राजस्व मण्डल के समक्ष नही दी है। इस प्रकार तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रतिवादी ने वादीगण की भूमि पर अतिक्रमण किया है। इसके बावजूद विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रतिवादी/रेस्पोडेंटस को विवादित भूमि में किये गये अतिक्रमण की एवज में 200/–प्रतिगज की दर से वादीगण को राशि अदा करने का जो विकल्प दिया है , वह विधि विरुद्ध है। यदि इस तरह की व्यवस्था लागू की गयी तो निश्चित रुप से अतिक्रमियों के होंसले बुलन्द हो जायेगे तथा समाज में इसका विपरीत सन्देश जायेगा। ऐसी स्थिति में विद्वान प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विद्वान परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में तरमीम करते हुए जो विकल्प प्रतिवादी/रेस्पोडेंट को दिया है वह विधिमान्य नही है और काबिले अपास्त है तथा अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

9– अतः वादीगण/अपीलांटस की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20–4–2004 का निम्न अंश (पंक्तियॉ) अपास्त किया जाता है :–

''साथ ही अपीलांट को यह विकल्प दिया जाता है कि वह विवादित आराजी के 6 X 20 फुट की एवज में 200/–रुपये प्रति वर्ग गज की दर से राशि रेस्पोडेंट को अदा करने को तैयार हो तो बाद अदायगी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त माना जावे।''

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र कुमार) (सूरज भान जैमन)

सदस्य सदस्य